3907(E)
21/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 21/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बेगूसराय के अन्तर्गत दलसिंहसराय–कैदराबाद–मालती पथ (7 से 36 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2010–11 के भुगतेय Claim, जिस पर मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. विषयांकित कार्य से संबंधित मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–510 दिनांक–05.02.2019 के माध्यम से प्राप्त संवेदक के Claim की जाँचोपरान्त अनुशंसा हेतु गठित समिति की दिनांक–21.01.2019 को आहुत बैठक की कार्यवाही के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य / योजना का नाम	:	दलसिंहसराय–कैदराबाद–मालती पथ (7 से 36 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2010–11
2.2	वादी का नाम एवं पता	:	M/s Aryan Concret, चिन्तामणी चौक, मोकामा, पटना।
2.3	वाद का प्रसंग	:	Reference Case 96/2013
2.4	Award की स्थिति	:	माननीय ट्रिब्यूनल के द्वारा दिनांक–10.01.2017 को घोषित की गई Award की मूल राशि निम्न प्रकार है :–

(i) Work Done की राशि	:	₹34,84,244.00
(ii) Earnest Money की राशि	:	₹ 9,45,000.00
(iii) Security Deposit की राशि	:	₹13,01,004.00
(iv) Time Extension की राशि	:	₹ 1,76,233.00
(v) Penalty की राशि	:	₹ 2,37,190.00
(vi) Labour Cess की राशि	:	₹ 1,62,581.00
कुल	:	**₹63,06,252.00**

21.5.19

3. <u>समिति की अनुशंसा :–</u>

उपर्युक्त Award की राशि के अतिरिक्त उक्त क्रमांक (i) से (vi) मदों में मद संख्या (ii) को छोड़कर सभी मदों पर दिनांक–30.08.2013 से 10 प्रतिशत के दर से सूद की राशि भी Award किया गया है। दिनांक–30.08.2019 से 31.01.2019 तक सूद की राशि की गणना की गई है (तालिका संलग्न Annexure B) जो क्रमशः निम्नवत् हैः–

Work Done SDBC	:	₹18,87,299.00
Security Deposit	:	₹ 7,04,710.00
Time Extension	:	₹ 95,460.00
Penalty	:	₹1,28,478.00
Labour Cess	:	₹ 88,065.00
कुल	:	₹29,04,012.00

वादी द्वारा उक्त Award के भुगतान हेतु माननीय व्यवहार न्यायालय, पटना में Execution Case दायर किया गया है, जिसका Execution Case No.-339/2017 है।

माननीय Tribunal द्वारा घोषित Award के आलोक में उपरोक्त देय राशि के विरूद्ध संवेदक को विभाग द्वारा Mobilization Advance दिया गया था जिसमें ₹4,93,396.00 की राशि अभी भी उनके पास लम्बित है। Mobilization Advance पर कुल देय सूद की राशि ₹16,09,565.00 मात्र आती है।

Award की गई राशि वादी द्वारा बगैर सूद के लेने का शपथ पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें Execution Case को वापस लेने तथा भविष्य में सूद पर किसी प्रकार का दावा नहीं करने का भी उल्लेख किया गया है। इससे विभाग को ₹29,04,012.00 की बचत होगी।

इस प्रकार वादी के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आलोक में सूद की राशि छोड़ते हुए वादी को देय मूल राशि ₹63,06,252.00 मात्र में विभाग द्वारा दिया गया Mobilization Advance की अवशेष राशि एवं Mobilization Advance पर देय सूद की राशि (₹4,93,396.00 + ₹16,09,565.00) को घटाकर शेष राशि ₹42,03,291.00 मात्र की भुगतान हेतु आवंटन/आदेश बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को उपलब्ध कराने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

21.5.19

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के ज्ञापांक–510(अनु0) दिनांक–05.02.2019 द्वारा प्राप्त **Claim** के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वादी के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आलोक में सूद की राशि छोड़ते हुये वादी को देय मूल राशि ₹63,06,252.00 मात्र में विभाग द्वारा दिया गया **Mobilization Advance** की अवशेष राशि एवं **Mobilization Advance** पर देय सूद की राशि (₹4,93,396.00 + ₹16,09,565.00) को घटाकर शेष राशि ₹42,03,291.00 मात्र की भुगतान हेतु आवंटन/आदेश के फलस्वरूप बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को उपलब्ध कराए जाने वाले भुगतान इस शर्त्त के साथ करने की कार्रवाई की जाय कि वादी संवेदक द्वारा दायर **Execution Case-339/2017** को वापस ले लिया जायेगा।

4.2 समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित निर्णय के संबंध में विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त कर ली जाय।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

21/05/19
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

21.5.19
(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव–सह–
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

21/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

21.5.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/मुक–129/2013 3907(E) पटना, दिनांक 21/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।